†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है

"कि खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १ से ३ तक, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक के नाम को विधेयक में जोड़ दिया गया

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव--जारी

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मुझे खेद है कि मैं इस चर्चा के दौरान अधिक देर उपस्थित नहीं हो सका, क्योंकि मैं दूसरे सदन में कार्य कर रहा था। किन्तु मैंने यहां के बहुत से भाषण पढ़ लिये हैं और मुझे ज्ञान हो गया हैं कि उनमें क्या कहा गया है।

शुरू में, मैं प्रस्तावक माननीय महिला सदस्या की बात का जो उन्होंने राष्ट्रपति के बारे में कही है, पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। यह इस संसद् के लिये राष्ट्रपति का अन्तिम अभिभाषण है। यह ठीक है कि वह अगली संसद् के पहले अधिवेशन के सामने भी अभिभाषण देंगे। यह एक अजीब सी बात है कि पुरानी संसद् की बैठक चुनाव के बाद भी हो। किन्तु यह चुनाव की तिथियों के कारण होता है। यदि चुनावों की तिथियां और हों, तो शायद ऐसा नहीं होगा। यद्यपि अगले महीने नई संसद् के सामने राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, फिर भी यह तथ्य है कि राष्ट्रपति निकट भविष्य में अपने उच्च पद से अवकाश ग्रहण करेंगे। मुझे सन्देह नहीं कि प्रत्येक सदस्य उन का आभारी है और इस बात पर सब को प्रसन्नता होगी कि उनके योग्य पथप्रदर्शन एवं व्यक्तित्व ने हमारे गणतंत्र के प्रारम्भिक दस वर्षों में और उससे कुछ पहले हमारे संविधान को गरिमा प्रदान की है।

समय के साथ साथ पुराने नेता भी बदल जाते हैं और देश को भी भिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत से नेता जिन्होंने भारत का नेतृत्व किया है, स्वतंत्रता संग्राम में भी आगे थे। ऐसे नेता स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के और बाद के समय दोनों के प्रतिनिधि थे और हमारे राष्ट्रपति उनमें से एक हैं। यह हमारे लिये बहुत सौभाग्य और सुविधा का विषय है कि वह इतने सालों तक राष्ट्रपति रह। हम प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वह चिरंजीवी हों। हमें आशा है कि आवश्यकता पड़ने पर हमें उनकी सलाह मिलती रहेगी।

यह स्वाभाविक है कि वर्तमान अभिभाषण में भविष्य के मुकाबले में भूतकाल पर अधिक नज़र डाली गई है। यह एक प्रकार से हमारी सफलताओं और हमारे सामने आई समस्याओं की सूची है। ये तथ्यों की बातें हैं और जैसाकि कुछ सदस्यों ने कहा है यह अधिक आशावादी है। और बहुत सी समस्याएं अभी बनी हुई हैं। मेरे विचार में यह अत्यधिक आशावादी नहीं है। फिर भी यह तथ्य है कि भरसक चाहने पर भी हम वह सब नहीं कर सके, जो हम करना चाहते थे। बहुत

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

सी समस्याओं को हल नहीं किया जा सका। यदि कुछ समस्याएं हल कर ली जाती हैं, तो दूसरी उत्पन्न हो जाती हैं। स्थिति को आत्म संतुष्टि की भावना से नहीं देखा जा सकता। हमारी समस्याएं दो प्रकार की हैं---वैदेशिक-कार्य सम्बन्धी समस्याएं और घरेलू समस्याएं। पहली प्रकार की समस्याएं सारे विश्व को प्रभावित करती हैं और हमें उन पर ध्यान देना पड़ता है। किन्तु यह स्वभाविक है कि संसद् का अधिक समय घरेलू समस्याओं पर खर्च है, क्योंकि ये समस्याएं हमारे दैनिक जीवन को, लाखों के जीवन को प्रभावित करती हैं। जब तक हम अपनी घरेलू समस्याएं हल न कर लें, हमारा राष्ट्र कमजोर रहेगा और वैदेशिक-कार्यों में अधिक ज़ोर नहीं डाल सकेगा।

आगे चलने से पहले मैं आज के एक समाचार का उल्लेख करना चाहता हूं और वह है अल्जीरियाई जनता के नेताओं और फ्रांसीसी सरकार के बीच युद्ध विराम सम्बन्धी करार। इतिहास में अल्जीरियाई गों के सात साल लम्बे संघर्ष जैसा घोर संघर्ष शायद ही मिलेगा जिसमें इतने अधिक व्यक्ति मारे गये हों या जिसमें जनता को इतने कष्ट उठाने पड़े हों। अल्जीरिया के लोगों ने आजादी की कीमत आवश्यकता से ज्यादा अदा कर दी है और वे स्वतंत्रता पूरी के तरह से पात्र हैं। हम उन्हें इस अवसर पर अपनी शुभ कामनाएं भेजते हैं। प्रेसीडेंट दिगाल के अधीन फ्रांसीसी सरकार भी हमारी बधाई की पात्र है। यद्यपि हम वहां की घटनाओं से सहमत नहीं हैं फिर भी हमें उन की कठिनाइयों को समझना चाहिये। श्री दिगाल अल्जीरिया को आजादी देने के निश्चय पर दृढ़ रहे और यह उनके लिये श्रेयस्कर है। समझौता करने में दोनों पक्षों ने कुछ कुर्बानियां की है, जो कि महत्वपूर्ण थीं।

यद्यपि इतनी बड़ी बाधा पार कर ली गई है, अल्जीरिया और फ्रांस में अभी गम्भीर कठिनाइयां बाकी हैं। वहां एक गुप्त सेना संगठन काम कर रहा है, जिसके काम करने के तरीके निर्दयी और फासिस्ट ढंग के हैं। इसने बहुत गड़बड़ पैदा की है। आशा है कि इसकी कार्यवाही अब बन्द हो जायेगी। यदि नहीं, तो इससे उचित रूप से निपटा जायेगा।

आशा है कि अल्जीरियाई जनता अपनी आजादी के लिए इतना भारी मूल्य चुकाने के बाद शीघ्रता से उन्नति करेगी और संसार में शांति का स्तंभ बन जायेगी।

गोआ के बारे में मैं अधिक नहीं कहूंगा, क्योंकि हाल में गोआ सम्बन्धी विधेयकों पर चर्चा हो चुकी है। केवल इतना कहूंगा कि अब भारत की स्वतंत्रता पूर्ण हो गई है। यह एक ऐसा पहलू है जिसे भारत से बाहर के लोग अच्छी तरह नहीं समझते, अर्थात् यह कि यद्यपि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई ब्रिटेन के विरुद्ध थी, गोआ भी हमारे इस संग्राम का एक भाग था। यह संग्राम फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली दोनों बस्तियों के विरुद्ध भी था।

सदन को याद होगा कि स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने कभी भारतीय रियासतों में आंदोलन चलाने पर ज़ोर नहीं दिया। उनकी धारणा थी कि उनके विरुद्ध लड़ना व्यर्थ होगा क्योंकि उनके पीछे ब्रिटिश सरकार थी, जिसका वे सहारा ले सकते थे। उनकी राय यह थी कि आंदोलन मुख्यतः भारत में अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध चलाया जाये। हां, रियासतों के लोग यदि चाहें, तो आंदोलन चला सकते थे। क्या यह ठीक था या गलत, यह और बात है। मैं यह केवल इस लिये कह रहा हूं कि गोआ और फ्रांसीसी बस्तियों के प्रति हमारी नीति इस बात पर निर्भर थी कि हमने सारा जोर ही ब्रिटिश भारत के विरुद्ध लगाया था, इस ख्याल से कि शेष अपने आप हो जायेगा। हमने इन बस्तियों को भुलाया नहीं था। हमने सोचा था कि अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद ये बस्तियां स्वयं भारत में आ जायेंगी। और हमने शान्तिपूर्ण ढंग से ऐसा कराने की कोशिश की। फ्रांसीसी सरकार से बातचीत

की गई और अन्त में उससे समझौता हो गया। पुर्तगालियों ने इतिहास के तथ्य मानने से इन्कार कर दिया था और वे १६वीं या १७वीं शताब्दी के जमाने की बातें करने लगें। उन्होंने गोआ के भविष्य के बारे में बातचीत करने से इन्कार कर दिया। हमने लिजबन में अपना राजदूत भेजा और विरोध पत्र आदि भी भेजे गये, जो उन्होंने स्वीकार नहीं किये। इसलिए हमने अपना राजदूत वापस बुला लिया। सदन को मालूम है आगे क्या हुआ।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि गोआ भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम का उतना ही भाग था, जितना कि कोई और। हमारा उद्देश्य यह था कि भारत का कोई क्षेत्र विदेशी लोगों के हाथ में न रहे, चाहे वे अंग्रेज हों, या पुर्तगाली या फ्रांसीसी मुख्य बात यह थी कि भारत विदेशी नियन्त्रण से मुक्त हो और वह हमने करा दिया है।

पश्चिम के लोगों का यह विचार है कि युद्ध में जीत लिये जाने के कारण गोआ पुर्तगाल का एक अंग था और हमने उसका अर्जन करने के लिये बल का प्रयोग कर गलती की। मैंने स्वयं भी वह तरीका पसन्द नहीं किया। तथापि मैं सोचता हूं कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र अथवा अन्य आधार पर भी, इस बात का विचार करते हुए कि गोआ भारत का एक अंग था और एक उपनिवेश था, वह तरीका अपनाना बिल्कुल उचित था। अतः हमने उचित ही किया। तथापि हम ऐसा करने में इस कारण संकोच कर रहे थे कि इसका अन्य क्षेत्रों में प्रभाव हो सकता है। इसका लाभ उठाकर कोई अन्य देश किसी गलत मौके पर हिंसात्मक कार्यवाही कर सकता है। तथापि हमने परिस्थितियों से विवश होकर ऐसा किया।

दुर्भाग्य से हमें अभी तक लगभग ३५०० पुर्तगाली सैनिकों का भार संभालना पड़ रहा है। निस्संदेह उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जा रहा है। गोआ कार्यवाही के समाप्त होते ही हमने पुर्तगाल सरकार से इन सैनिकों को वापस ले जाने को कहा था। हमने बिना शर्त यह बात रखी थी। कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया था कि इनके एवज में मोजाम्बीक और अंगोला के भारतीयों के भविष्य के संबंध में आश्वासन मांगा जाये। तथापि हमने इस शर्त को रखने से इन्कार कर दिया। हमने सोचा कि हम इस मामले को पृथक् उठायेंगे।

तथापि अभी तक इस मामले का निपटारा नहीं हुआ है। मैंने सभा में पिछली बार भी इसका जिक्र किया था तथापि उसके एक दो दिन पश्चात् समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि पुर्तगाल सरकार ने हमारे समक्ष सुझाव रखा है, तथापि उन्हें हमारी ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। हमें ऐसा कोई सुझाव नहीं मिला है संभव है कि वह ब्राजील अथवा मिश्र की सरकार के मार्ग से आ रहा हो। हमने पुर्तगाली सैनिकों से यह भी कह दिया कि वे जाने को स्वतंत्र हैं। हम उन्हें चले जाने के लिये यथासंभव सुविधायें देंगे। इन ३५०० सैनिकों के वहां नजरबन्द रहने से वहां के हालतों को सामान्य बनाने में विलम्ब हो रहा है। उनके साथ युद्ध-बन्दियों की तरह का व्यवहार नहीं किया जा रहा हैं। हमने वहां से काफी सेना और असैनिक पुलिस हटा ली। यदि पुर्तगाली सैनिक वहां नहीं होते तो हमें और अधिक सैनिकों को वहां से हटा लेते।

तथापि मैं आशा करता हूं कि इसका निपटारा शीघ्र ही हो जायेगा। अन्य बातों में गोआ की स्थिति सामान्य होती जा रही है। मैं आशा करता हूं कि गोआ शीघ्र ही प्रगति करेगा।

इस समय विश्व में जो महत्वपूर्ण घटना हो रही है वह जैनेवा में होने वाला निःशस्त्रीकरण सम्मेलन है। हमने इसमें अपना प्रभावशाली और सुयोग्य प्रतिनिधिमण्डल भेजा है। निशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में हम बहुत अधिक दिलचस्पी रखते हैं। वैदेशिक मामलों में हमारा रवैया यह रहता है कि हम स्वयं बहुत अधिक आगे न बढ़ कर दूसरों को आगे बढ़ायें। यह स्पष्ट है कि निःशस्त्रीकरण

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

तभी सफल हो सकता है जबकि दो अणुशक्ति राष्ट्र इस बारे में सहमत हों। अन्ततः यह मामला मतदान से तय होने वाला नहीं अपितु बड़े राष्ट्रों की सहमति से ही तय हो सकता है। अतः हम इस मामले में समझौता करावाने की कोशिश करेंगे।

पिछले वर्षों में हमने संयुक्त राष्ट्र में निशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में कई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। हमारे कई प्रस्तावों की कटु आलोचना भी हुई है। तथापि जब उन्हीं प्रस्तावों को किसी दूसरे देश ने प्रस्तुत किया तो उन्हें मान लिया गया। इस प्रश्न के सम्बन्ध में प्रत्येक दृष्टिकोण के प्रति लोग इतने संदिग्ध रहते हैं कि प्रत्येक प्रस्ताव को सन्देह की दृष्टि से ही देखा जाता हैं। मैं इस पर किसी को दोष नहीं देता हूं वस्तुतः इसमें गम्भीर समस्यायें अन्तर्हित हैं। वस्तुतः निशस्त्रीकरण एक ऐसी स्थिति हैं जैसी कि विश्व में अभी तक पैदा नहीं हो सकी है। हम जिसके लिये प्रयत्नशील हैं वह विश्व के इतिहास के लिये नई बात है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् भूतपूर्व लीग आफ नेशन्स ने एक निःशस्त्रीकरण सम्मेलन किया था। उन्होंने निःशस्त्रीकरण के लिये एक आरम्भिक आयोग तैयार किया था। यह आयोग वर्षों तक अपना कार्य करता रहा। उन्होंने बड़े मोटे मोटे प्रतिवेदन तैयार किये और यह बताया कि निःशस्त्रीकरण के मार्ग में क्या क्या कठिनाइयां हैं। उस समय अणु शस्त्रों का आविष्कार नहीं हुआ था अतः उनके आविष्कार के पश्चात् यह समस्या और भी कठिन हो गयी है। अब मानवता के सम्मुख निःशस्त्रीकरण या सर्वनाश ये दो ही मार्ग रह गये हैं। अतः इस सम्बन्ध में केवल किसी की निन्दा अथवा आलोचना करना ठीक नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न राष्ट्र की सुरक्षा के जटिल प्रश्न से सम्बन्ध रखता है और प्रत्येक सरकार को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिये और प्रत्येक राष्ट्र यह समझता है कि वह दूसरे से महान् बन कर ही अपनी सुरक्षा कर सकता है। अतः दो राष्ट्रों के लिये भी इस मामले में सहमत होना कठिन है।

जेनेवा में निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में कोई अधिक प्रगति नहीं हुई है। मेरे विचार से अन्त में वे हमारे इस प्रस्ताव पर राजी हो गये हैं कि वे इस सम्बन्ध में अनौपचारिक रूप से मिलें। क्योंकि सभी बातों पर खुले आम चर्चा करना सम्भव नहीं होता है। दोनों गुट, अपनी ओर से झुकना चाहे बिना अपना अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि वे एक दूसरे के दृष्टिकोण समझने का प्रयत्न करेंगे।

इस सम्बन्ध में बहुत अधिक साहित्य प्रकाशित हो चुका है। यह समस्या इतनी जटिल है कि हमें उसकी जटिलता को देख कर आश्चर्य होता है। सच्चाई यह है कि यदि हम अभी इस समस्या का हल नहीं करते हैं तो इस सम्बन्ध में दशा और भी खराब हो जायेगी और यदि एक बार अणु शस्त्र कई अन्य देशों के हाथों में आ जायें तो यह समस्या बिल्कुल हाथ से निकल जायेगी।

वस्तुतः इतना तो स्पष्ट है कि सभी राष्ट्र सैद्धान्तिक रूप से पूर्ण निःशस्त्रीकरण के लिये सहमत हो चुके हैं। तथापि इसको अमल में लाने में वास्तविक कठिनाई पैदा होती है। काफी बातों पर समझौता हो चुका है। तथापि असहमति भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे काफी बाधा पैदा होती है। समूचा और पूर्ण निःशस्त्रीकरण भी एकदम नहीं हो सकता है उसे कई प्रक्रमों में करना होगा अतः यह तय किया गया कि आंशिक निःशस्त्रीकरण में कोई भी ऐसी बात नहीं की जाये जिससे कि कोई एक बड़ा राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र से दुर्बल हो जाये। तथापि मैं यह चाहता हूं कि उसका पहिला प्रक्रम ही इतना प्रभावपूर्ण हो कि विश्व उससे प्रभावित हो सके। केवल यह कहना ही काफी नहीं है कि हमें अपने शस्त्रों में पांच या दस प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिये।

यह दुर्भाग्य की बात है कि पिछले वर्ष रूस ने अणु परीक्षण की नयी श्रृंखला आरम्भ की। मैं इसके सैनिक कारण नहीं जानता हूं तथापि यह सही हैं कि सेना सदैव सरकार के ऊपर यह दबाव

डालती है कि अधिकाधिक परीक्षण हो सकें जिससे कि उनके आणविक शस्त्रों में सुधार हो इसके कुछ ही समय पश्चात् अमेरिका की सरकार ने कुछ भूमिगत परीक्षण किये और सके। इस प्रकार के परीक्षणों के लिये मार्ग प्रशस्त हो गया। अभी हाल अमरीकी सरकार ने यह घोषित किया था कि यदि इन परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये तत्काल सन्धि नहीं की जा सकी तो वे एक महीने के भीतर ही भीतर वायु मण्डल में आणविक परीक्षण आरम्भ कर देंगे। मुझे दुःख है कि यह बात निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के आरम्भ में कही गयी है। इससे इस सम्मेलन की सफलता में बाधा आ सकती है। यह भी कहा जा सकता है कि इससे सम्मेलन के कार्य में गति आयेगी तथापि यह असम्भव है कि सम्मेलन एक महीने के भीतर ऐसा कोई निर्णय करने में समर्थ होगी। यह दुःख की बात होगी कि सम्मेलन के जारी रहते हुए ही अमेरिका परीक्षण आरम्भ करे इस पर रूस की सरकार भी परीक्षण आरम्भ करेगी। इस प्रकार निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का सारा महत्व ही समाप्त हो जायेगा। अतः मैं महान् राष्ट्रों से यह अनुरोध करता हूं कि जब तक सम्मेलन जारी है तब तक वे इस प्रकार का कोई परीक्षण नहीं करें।

निस्सन्देह निःशस्त्रीकरण की समस्या बहुत जटिल है वस्तुतः जितना ही हम उसे समझने का प्रयत्न करते हैं वह उतनी ही जटिल प्रतीत होती है। तथापि इसके पीछे भय और घृणा की भावना विद्यमान है। इस भय और घृणा का बुरा परिणाम हो सकता है। अतः हमें अपनी समस्याओं के मामले में भय और घृणा को दूर ही रखना चाहिये। हमारे सीमान्त पर चीन का आक्रमण देश के वर्तमान और भविष्य के लिये एक गम्भीर समस्या हैं। यह एक गम्भीर समस्या इस कारण है कि केवल यह सोचना कि युद्ध से इस समस्या का हल हो जायेगा एक भ्रान्ति है। यदि कोई युद्ध में शामिल हो जाता है तो वह उसे जीतने का भरसक प्रयत्न करता है तथापि विश्व में होने वाली घटनाओं की पृष्ठभूमि को देखते हुए कोई ऐसा काम करना जिसका अन्त हम नहीं जानते हैं सरासर नादानी है।

अतः यद्यपि हम अपनी बात पर सुदृढ़ हैं तथापि हम भरसक इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस समस्या का हल शांन्तिपूर्वक और समझौते से हो सके। यदि यह सम्भव नहीं हुआ तो हमें दूसरे मार्ग अपनाने होंगे। हम कोई ऐसा तरीका अख्तयार नहीं करेंगे कि शान्तिपूर्ण समझौते के सारे मार्ग बन्द हो जायें क्योंकि इसमें न केवल एशिया के दो बड़े देशों का वर्तमान अपितु भविष्य भी निर्भर करता है। इनमें से कोई भी देश दूसरे देश को विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र की सहायता से भी हरा नहीं सकता है। फल यह होगा कि ऐसा संघर्ष निरन्तर चलता रहेगा। अतः हम ऐसी स्थितियों पैदा कर रहे हैं कि इस समस्या का हल समझौते से हो सके।

इस सम्बन्ध में विश्व का जनमत भी बहुत काम करता है। आप कह सकते हैं कि विश्व का जनमत हमारे साथ है। दूसरा मार्ग यह है कि हम अपने को मजबूत बनायें और प्रत्येक स्थिति का सामना करने को तैयार हो जायें।

अब मैं देश की आन्तरिक स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के सुझावों और आलोचनाओं को अंशतः स्वीकार करता हूं। हमें उनकी आलोचायें सुनने को तैयार रहना चाहिये। माननीय सदस्यों ने सभा में जो भी विचार प्रगट किये हैं उन पर पूर्ण ध्यान दिया जायेगा तथा उनको आलोचाओं का उत्तर देने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री महावीर त्यागी ने कुछ मूलभूत बातों का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि इन चुनावों को देखने से यह प्रकट है कि देश के स्तर एवं उसकी प्रतिष्ठा को विभिन्न रूप में धक्का पहुंचा है। मैं यह बात मानता हूं और मुझको भी इससे तकलीफ पहुंची है। इसका मेरे दिमाग पर भी गहरा असर पड़ा है। मैं यह महसूस करता हूं कि अब हम, एक इन्सानी तौर पर, कुछ अवसरवादी—कुछ क्या काफी अवसरवादी बन गये हैं मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि जब अपनी तुलना उस समय से करते हैं

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जबकि हम महात्मा गांधी के समय में थे तो हम देखते हैं कि हम काफी अवसरवादी हो गये हैं। हम में कुछ कमियां आ गई हैं, कुछ बुराइयां आ गई हैं, कुछ अच्छाइयां हम से निकल गई हैं। लेकिन यह सब कुछ परिस्थिति पर निर्भर करता है। महात्मा गांधी में अच्छाई यह थी कि उन्होंने हम को अच्छाइयां दीं। हम में जो अच्छाइयां थीं उनको चमका दिया। यह बात जरूर है कि उनके समय में भी साम्प्रदायिक जैसी बातें हुईं। जब वे जिन्दा थे तब भी कत्लेआम आदि जैसी बातें हुईं। यहां तक कि देश का विभाजन भी हुआ। इससे अधिक बुरी बात और क्या हो सकती हैं। इसने निश्चय ही विश्व में हमारी इज्जत में बट्टा लगाया।

इसके अलावा सार्वजनिक जीवन में कुछ और तबदीलियां हुईं जो निन्दनीय हैं और उनके कारण हमारा स्तर नीचे गिरने लगा। जनता आज भी वही हैं। लेकिन लोकतन्त्रीय चुनाव—मेरे विचार में ये चुनाव व्यवहार और मौखिक रूप दोनों ही दृष्टि से अच्छे हैं—इन बुराइयों को निकालने में सहायक होते हैं क्योंकि लोकतन्त्र लोगों को काम करते के लिये प्रशिक्षण और क्षमता दोनों ही प्रदान करता है। यह एक उच्च श्रेणी की सभ्यता हैं। लोकतन्त्र सभ्य लोगों के लिये है असभ्य लोगों के लिये नहीं। अगर लोग मूलतः असभ्य हैं तो लोकतन्त्र उनके लिये अच्छा नहीं है। हो सकता है कि उनके लिये तानाशाही या इसी प्रकार की कोई और दूसरी चीज अच्छी हो। अब सभ्य होने का बहाना नहीं करते। हम सदैव सभ्य नहीं होते कभी न कभी बुराई हम पर हावी हो ही जाती है। यह बुराई सर्वत्र प्रकट रहताहै और चुनावों के दौरान में खुले रूप में सामने आता है। अतः इस समय लोग ऐसी बातें कहते हैं तथा करते हैं जिसका प्रतिरोध सभ्य समाज में नहीं हो सकता।

कुछ माननीय सदस्यों ने चुनावों की चर्चा की है कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं—सरकार पर आरोप लगाये हैं कि उसने इस प्रकार अवसर पर बहुत सी गल्तियां की हैं। कुछ चुनावों को स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने सारे देश का दौरा किया है। मैं यह तो नहीं कहता कि सभी कांग्रेसी उम्मीदवार देवता हैं। लेकिन कांग्रेस विरोधी लोगों ने इस चुनाव में जो कुछ किया उससे मुझे बहुत निराशा हुई हैं। उनको कभी माफ नहीं किया जा सकता। कुछ काम तो ऐसे घृणास्पद और जघन्य थे कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं किसी व्यक्ति अथवा दल का नाम तो नहीं लेता। लेकिन उनमें साधारण सी भी अच्छाई न थीं। हो सकता है किसी कांग्रेसी व्यक्ति ने भी ऐसा कार्य किया हो। लेकिन यह सवाल किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी दल विशेष का ही नहीं रहा बल्कि वर्ग के वर्ग ऐसा करते रह हैं। ऐसे वर्गों की संख्या भी काफी हैं।

यह एक बड़ा गम्भीर मामला है। हमें यह देखना है कि हम किस प्रकार इस स्थिति का हल करें जो हर आदमी के लिये, प्रत्येक सरकार के लिये और प्रत्येक संगठन के लिये लाभदायक हो।

अभी उस दिन मैंने सुझाव दिया था कि गृह मंत्रालय उन सभी प्रकाशित पुस्तकों, पुस्तिकाओं एवं अन्य प्रकाशनों को एकत्रित करे जो चुनाव के दौरान में विभिन्न राजनैतिक दलों ने प्रसारित किये हैं। उनसे यह लाभ होगा कि जो बातें उनमें बुरी हैं उनको रोका जाये ताकि उनकी पुनरावृत्ति भविष्य में फिर से न हो सके। इससे इस बात का भी आभास हो जायेगा कि लोगों की भावनाएं किस प्रकार की है एवं वे किस प्रकार सोचते हैं।

लेकिन जब कुछ समाचारपत्रों ने इस बारे में यह कहा कि यह अनुचित है, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे तो इसमें कोई अनुचित बात दिखाई नहीं पड़ती। हमने राज्य सरकारों तथा जिला मजिस्ट्रेटों से कहा है कि वे इस प्रकार के प्रकाशनों को एकत्रित कर लें। एकत्रित हो जाने पर हम सबको एक

जगह एकत्रित करेंगे और संसद् सदस्यों को दिखायेंगे इससे उनको एवं अन्य सभी लोगों को लाभ होगा। अच्छा तो यह होता कि हम इस सामग्री को चुनाव से पहले एकत्रित करते लेकिन उस समय यह बात हमारे ध्यान में नहीं आई। यह माना कि शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को बदलने एवं उनको अच्छा आदमी बनाने में सहायता पहुंचाती है लेकिन साथ ही यह भी बहुत जरूरी है कि जनता के नेता भी एक ऐसे ढंग से काम करे जिससे कि जनता के सामने एक उदाहरण उपस्थित हो और लोग उसका अनुसरण करें।

चुनाव से पहले राष्ट्रीय भावात्मक सम्मेलन की स्थापना हुई थी लेकिन अफसोस की बात है कि चुनाव के दौरान में इसकी बैठकें नहीं हुईं। अच्छा होता कि इसकी बैठकें उस दौरान में भी होती। भावात्मक एकता बहुत जरूरी है। यह एक मूलभूत बात है। इस प्रकार के सम्मेलन जातिवाद, साम्प्रदायिकवाद आदि जैसी प्रवृत्तियों पर काबू पा लेते हैं। दक्षिण में एक डी०एम०के० नामक दल की स्थापना हुई है जो भारत के विभाजन की बात करता है। यह एक ऐसी बात है जिसका भारत को अच्छी तरह से विरोध करना चाहिये। ये बातें कुछ ऐसी हैं जिनको कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा मालूम होता है कि किसी दिमाग में कुछ खराबी है जिसके कारण उसके सोचने की ताकत ही बिल्कुल समाप्त हो गई है। अतः इन सवालों को हमें हल करना है। क्योंकि ये सवाल ही मूल सवाल हैं।

कृषि को हमने सदैव ही बहुत अधिक महत्व दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि कृषि का विकास हो रहा है तथा और भी होगा। प्रायः सभी उद्योगों की अपेक्षा कृषि को महत्व दिया जा रहा ह। इसे प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि दोनों का उचित विकास हो। दोनों साथ साथ चलेंगे। उद्योग के विकास के साथ साथ कृषि का विकास भी होगा चुनाव के दौरान में मैंने देश का जो भ्रमण किया है उससे मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं। सारे देश में प्रगति हो रही है और अब तक भी काफी प्रगति हुई है। लोगों की दशा भी अच्छी है। उनको अच्छा खाना भी मिल रहा है, अच्छे कपड़े भी मिल रहे हैं और उनमें जागृति भी है।

देश का कुछ भाग ऐसा भी है जहां कुछ गरीबी है। वह गरीबी भी काफी मात्रा में है। लेकिन ये इलाके वहीं हैं जो कभी जमींदारी, या ताल्लुकेदारों के अधीन थे। ताल्लुकेदारी समाप्त हो गई है। राजा महाराजाओं का समय अब लद गया है। जमींदारी खत्म हो गई है लेकिन उसका प्रभाव अभी तक शेष है। फिर भी पुराने समय के तथा अबके किसान की दशा में अन्तर है। अब वह अच्छा है लेकिन उनकी प्रगति धीमी चल रही है। उसे कुछ सुविधाएं दी गई हैं किन्तु अभी तक वह डरा हुआ है। अभी तक उसका डर गया नहीं है। हम गुणिता को भी महत्व देते हैं। हम अपने प्रशासन कार्यों में एक तृतीय श्रेणी के हरिजन को इसलिये स्थान नहीं दे सकते चूंकि वह हरिजन हैं। हम उसका स्वागत अवश्य करते है लेकिन चाहते हैं कि मानसिक दृष्टि से वह विकसित हो। अच्छे व्यक्तियों के न आने से राष्ट्र की उन्नति नहीं होती। भारत में अब भी कुछ ऐसे भाग हैं जहां कि उन्नति अभी बड़ी धीमीगति से हो रही है। यह ठीक है कि कांग्रेस में अब भी राजा महाराजा हैं लेकिन उनकी स्थिति वह नहीं रही है जो कि पहले थी। अब उनके सोचने का ढंग बदल गया है। अब सामान्तशाही अन्तिम अवस्था में है। अब उनके पुराने दिन समाप्त हो गये। लौटकर वे दिन अब नहीं आ सकते। लेकिन जिस ढंग से हम उनसे अब बर्ताव करते है वह कुछ अच्छा नहीं है उससे कुछ नाराजगी ही प्रकट होती है।

हमारी योजनाएं काम कर रही हैं। मेरा विचार है कि हमारी ये योजनाएं ठीक है। जहां तक तीसरी योजना की बात है वह भी ठीक है। इस योजना में कुछ छोटे मोटे परिवर्तन हम इधर उधर कर सकते हैं। असली बात तो इसके क्रितान्वयन की है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। योजना में इस

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बात की भी व्यवस्था की गई है कि कुछ भागों को विशेष सुविधा देनी है जैसे राजस्थान में पानी का उचित प्रबन्ध करना है। वहां पानी की बड़ी कमी है। इस योजना के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि हर गांव को पीने के लिये अच्छा और स्वच्छ पानी मिले। साधारण व्यक्तियों को अधिक महत्व दिया जाना है। और दिया जाना भी चाहिये। हर आदमी को वे सभी मिलनी चाहिये जो उसके लिये मूलरूप से ज़रूरी है।

प्रशासकीय पहले भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि योजना की सफलता प्रशासन पर अधिक निर्भर करती है। ऊपर का अर्थात् केन्द्र अथवा उच्च पदाधिकारियों का प्रशासन बहुत अच्छा है। हो सकता है कि प्रशासन का काम धीरे धीरे हो रहा हो लेकिन काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। इस प्रशासन की सूची यह है कि यह आवश्यकतानुसार कार्य कर रहा है और इसने आपको जरूरत के अनुसार अपने आपको बदल लिया है। लेकिन नीचे के स्तर का प्रशासब उतना अच्छा नहीं है। वे अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान करना है और स्थिति का मुकाबला करना है। क्योंकि योजनाओं को उस समय एक सफलता नहीं मिल ती जब तक कि प्रशासन उनके अनुकूल काम न करें।

हमारी प्रगति कई बातों पर निर्भर करती है। इनमें से मुख्य हैं विद्युत शक्ति, लोहा और इस्पात। विद्युत शक्ति के लिये बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। हम प्रगति करने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रगति बहुत धीमी है। जब तक प्रत्येक गांव में बिजली नहीं पहुंच जाती तब तक हमारी प्रगति नहीं होती। यह लोगों की विचारधारा बदलती है तथा उनके काम करने की आदत में परिवर्तन करती है। लोहा और इस्पात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी कामों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। मुझे इस बात का दुख है कि इस क्षेत्र में हमारी प्रगति उतनी तेज़ी से नहीं हो रही है जितनी तेज़ी से कि हम चाहते थे। द्वितीय योजना में प्रगति धीमी हुई थी। तीसरी योजना में इन सयंत्रों की संख्या दूसरी योजना की संख्या की उपेक्षा दुगनी करने जा रहे हैं। साथ ही इस योजनाकाल में एक बहुत बड़ा कारखाना बोकारो में बनाने जा रहे हैं। जिसका उत्पादन बढ़कर १०० लाख टन प्रतिवर्ष तक हो जायेगा। इसके बारे में प्रारम्भिक कार्यवाही हो चुकी है लेकिन अब कुछ कारणों से इसको रोक दिया गया है। इसका हमें खेद हैं। क्योंकि इस प्रकार तीन चार वर्षों के लिये प्रगति रुक जायेगी जिसकी पूर्ति करना संभव भी नहीं है। कुछ व्यक्ति विशेष अथवा व्यवसाय संस्थान नहीं चाहते कि इसकी प्रगति आगे हो क्योंकि लोहा और इस्पात की कमी के कारण वे अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। शायद यही कारण हैं कि वे इसकी प्रगति के पक्ष में नहीं है।

निर्यात की महिमा बढ़ती जा रही है। निर्यात महत्वपूर्ण भी हैं। हालांकि इस क्षेत्र में प्रगति हो रही है। लेकिन फिर भी इसको बढ़ाना है।

पंजाब में पानी भर जाने का उल्लेख किया गया है लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह भाखड़ा नंगल के कारण नहीं है। यह तो वहां की पुरानी नहरों के कारण है। ऐसा मेरा विचार है।

जहां तक पंचवर्षीय योजना की बात है। हम उसकी चर्चा कर चुके हैं और आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन यही है कि हम समूची तस्वीर अपने सामने रखकर इस पर विचार करें। जहां कुछ कमियां हैं उन पर विचार करने की आवश्यकता है। सब बातो पर यह ध्यान रख कर विचार करना चाहिये कि ये भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार हों। फिर भी आप देखेंगे कि बहुत से मामलों में हमने एशिया में ही नहीं अपितु समस्त विश्व में अच्छा काम किया है।

भारत के निवासी भी विश्व के अन्य निवासियों की भांति साधारण किस्म के हैं। उनमें भी कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी। लेकिन मेरी धारणा है कि भारतवासी बहुत अच्छे आदमी हैं। मुझे उन पर गर्व है। और भावी निर्माण में वे सहायक होंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

इन चुनावों ने बहुत सी बुराइयों को हमारे सामने प्रकट कर दिया है। जिस ढंग से ये चुनाव भारत जैसे विशाल देश में हुए हैं उसका प्रभाव विश्व पर भी पड़ा है। गत १०-१२-१४ वर्षों में हमने जो काम किया है यदि उसकी तुलना आप एशिया या दक्षिण अमेरिका के उन देशों से करें जिन्होंने कि अपने देश के निर्माण के लिये कार्य किया है तो आप देखेंगे कि हमारा काम काफी अच्छा एवं सन्तोषजनक है। हो सकता है कि हमारे काम में कुछ कमियां रही हो लेकिन फिर भी वह बहुत अच्छा है। हम बराबर आगे बढ़ते रहे हैं। पीछे नहीं हटे।

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे विरोध में हैं। हो सकता है कि वे अपनी संकीर्णता एवं अपनी विचारधारा के कारण ऐसे हों। लेकिन अधिकाशतः लोग ऐसा नहीं सोचते। जनसंघ के बारे में मैंने उस दिन कहा था कि यह अभी २०० वर्ष पीछे हैं। इसी प्रकार कुछ दल और भी पीछे हैं। लेकिन फिर भी यह तो देश को निर्णय करना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं अथवा पीछे हट रहे हैं।

अपने लक्ष्य के बारे में हमें बहुत ही स्पष्ट रहना चाहिये। हमारी तीसरी योजना का लक्ष्य बिल्कुल ठीक है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, समाज-सेवा आदि के बारे में भी हमें व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिये। हो सकता है कि तीसरी योजना में हमें इधर उधर थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़े सबसे पहले हमें अपनी योजना के बारे में अपनी विचार धारा स्पष्ट करनी होगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योजना का बिल्कुल ही विरोधकर रहे है। योजना क्या है? इसके द्वारा हमें यह देखना है कि वर्तमान परिस्थितियों में कितना अच्छा काम कर सकते हैं। फिर भी यदि कुछ लोग इसका विरोध करते हैं तो यह उनकी मर्जी। ऐसा मालूम होता हैं कि वे दिमाग से काम नहीं लेना चाहते। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि हमारा राष्ट्र अकल से काम न ले। यह बड़ी अजीब सी बात है।

ऐसी ही एक चीज़ है––मिली-जुली खेती। चुनावों में इसे लेकर भी काफी कुछ कहा गया था, और काफी कुछ ग़लत-सलत और झूट-मूट कहा गया था। वे कहते फिरते थे "तुम्हारी ज़मीनें तुमसे छीन ली जायेंगी।" यह एक दम ग़लत है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे देश की जैसी हालत है उसमें मिली जुली खेती बड़ी अच्छी रहेगी। उससे पैदावार बढ़ेगी और किसानों को भी फायदा होगा। इसलिये कि उनकी जोतें इतनी छोटी-छोटी हैं कि वे आधुनिक ढ़ंग के औजारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसलिये उनकी तरक्की भी नहीं हो सकती। हमने बिल्कुल साफ ढंग से बता दिया है कि उनकी मर्जी के बिना उनको मिली जुली खेती में शामिल नहीं किया जायेगा। और शामिल होने के बाद भी दो-तीन साल बाद भी वे चाहे तो उससे अलग हो सकते हैं। उनकी ज़मीन उन्हीं की मिल्कियत रहेगी।

मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। आजकल तो मिली जुली खेती का सवाल राजनीतिक बहस का सवाल बना दिया गया है, लेकिन १९०८ में ऐसी कोई बात नहीं थी। शायद १९०८ में ही, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल प्रान्तीय सम्मेलन के सभापति की हैसियत से पहली बार, और शायद आखिरी बार भी मिली जुली खेती की हिमायत की थी। क्यों? उनको तो राजनीतिक समस्याओं, समाजवाद, कम्युनिज्म या किसी दुसरे वाद से कोई मतलब था नहीं। उन्होंने मिली-जुली खेती की बात इसलिये कही थी कि उनको बंगाल की हालत देखते हुए यही एक सबसे अच्छा हल लगा था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जमींदारी में मिली-जुली खेती शुरू भी कराई थी।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पर आज कुछ लोग समझते हैं जैसे मिली जुली खेती का यह विचार किसी बड़ी बुरी जगह से किसी बाहरी देश से चलकर भारत की पवित्र भूमि को बिगाड़ने आया है ।

हम बिना सोचे-समझे, खाहमख्याली से कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम कुछ उसूल, कुछ आदर्श एक निश्चित नीति लेकर चल रहे हैं। इसलिये राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषाण में बिलकुल सही कहा है कि इन चुनावों से प्रकट हो गया है कि देश की जनता हमारे उन उसूलों, आदर्शों और नीतियों को एक मोटे तौर पर ही नहीं, बल्कि पूरे तौर पर स्वीकार करती है और उनको बढ़ावा देना चाहती है। जो भी नुक्ता चीनी हमारी की गई है वह असल में उन उसूलों और आदर्शों की इतनी नहीं थी जितनी कि उनको असल में देर करने की थी। हमने ऊपर कठमुल्लेपन से अमल नहीं किया है। अपने उसूलों और आदर्शों तथा उद्देश्वों की हमारे सामने एक बिलकुल साफ तसवीर रही है, हमने यह भी बड़ी अच्छी तरह समझ लिया था कि हमें उन पर किस किस ढंग, किस तरीके से अमल करना है इसलिये हम उस पर व्यावहारिक ढंग से चलते आ रहे हैं। आशा है कि हम अपने अनुभव से सीखते चल रहे हैं और हम अपनी ग़लतियों को ठीक करते आगे बढ़ते जायेंगे।

भारत ही क्या, संसार भर में यही हैं कि कोई आदमी, या कोई भी सरकार जनता की पूरी मदद के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। इन इतनी बड़ी-बड़ी योजनाओं को सिर्फ सरकारी व्यवस्था के बूते पर अमल में लाना नामुमकिन है। हमें जनता से काफी सहायता मिली है, और उसके साथ ही हमें अपने देश की जनता की मनोवृति भी विरासत के तौर पर मिली है। हमारी जनता के दिमाग़ में युगों-युगों से यह मनोवृति जमी हुई है कि हालात ज्यों के त्यों बनाये रखने की आदी है, वह तेजी से होने वाली तब्दीलियों के आड़े आती है। जाहिर है कि जनता अपने साथ अपनी वह मनोवृत्ति भी लाई है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले सारे देश में अष्ट ग्रही योग को लेकर बड़ी गरमा-गरम चर्चायें चल रही थीं। कई दलों के लोग, कांग्रेस दल के लोग भी शायद, उन चर्चाओं में हिस्सा ले रहे थे। लोगों में एक बदहवासी सी फैल गई थी। उस योग का प्रभाव टालने के लिये लोगों ने बड़ी-बड़ी राशियां, शक्ति और अपना समय नष्ट किया था। हम ऐसी मनोवृत्तियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि अपने दल के लिये भय या आशंका के आधार पर एक भी वोट प्राप्त करूं। हम हर तरह के अंध विश्वास के खिलाफ़ लड़ रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि कुछ होगा या कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हां, मैं अंध विश्वासों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, चाहे मुझे या मेरे दल को एक भी वोट न मिले। हमें राष्ट्र की समस्याओं के प्रति एक उचित, तर्क-संगत और बुद्धिमता-पूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। हमें आचार्य कृपालानी जैसा दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये, जो न उचित है और न बुद्धिमत्तापूर्ण।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : मैं केवल इतना कहूंगा कि अधिकांश बड़े-बड़े आदमी अक्सर, करीब करीब रोज़ ही अपनी जन्म पत्रियां दिखाते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य को याद होगा कि मैंने "कांग्रेस सहित सभी दलों के लोग" कहा है। मैंने कांग्रेसी लोगों को उससे अलग नहीं रखा।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम सब एक ही समाज मे पैदा हुए हैं, और एक ही वातावरण, एक ही माहौल में हमारे दिमाग बने हैं। हम सभी इसीलिये एक हद तक थोड़े-बहुत अंधविश्वासी हैं। हम अपने अंधविश्वासों से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। जब-तब हम सभी अंधविश्वासी ढंग से काम कर जाते हैं, जब-तब वातावरण हमारे ऊपर हावी हो जाता है, परन्तु संयत ढंग से, अलग खड़े हो कर सोचने पर हमें स्वीकार करना चाहिये कि अंधविश्वासी होना ग़लत है। कभी कभी हम सभी ग़लतियां करते हैं, पर हमें बाद में अपनी ग़लतियां मान लेनी चाहियें, उन की बढ़ाई करने या उन को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। आखिर, हमें बड़ी-बड़ी समस्याओं को हल करना है। हम ने, इस संसद् ने पांच वर्ष तक देश के शासन का उत्तरदायित्व संभाला है और हम में से कई अगले वर्ष तक भी उत्तरदायित्व संभालेंगे। हम ने इस मशाल को ले कर आगे बढ़ने का भरसक प्रयास किया है, हम ने इसे किसी भी तरह बुझने या मन्द नहीं होने दिया है। यह संसद् अब एक पखवारे के बाद अपना कार्य-काल समाप्त कर देगी और अगली संसद् को प्रखर ज्योति से जलती यह मशाल सौंप देगी।

इसी तरह, संसद्-दर-संसद्, पीढ़ी-दर पीढ़ी हमें इस मशाल की लौ जगाये हुए आगे बढ़ते जाना चाहिये। लेकिन यह तभी किया जा सकता है जब हम भविष्य पर आंखें जमाये आगे बढ़ते रहें, जहां अभी हैं वहीं न बने रहें, संतोष के साथ अपने आज के तौर-तरीकों और रहन-सहन के ढंग में रमते न रहें। खास तौर पर आज जबकि सारे संसार में जिन्दगी के तौर-तरीके तेजी से बदलते जा रहे हैं, जब हम साइंस की बड़ी-बड़ी कामयाबियों की चर्चा कर रहे हैं, जब हम चन्द्रमा तक पहुंचने के दावे कर रहे हैं। मुझे चन्द्रमा में जाने से कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे लिये तो यही पृथ्वी काफी है, यहीं काफी काम पड़ा है। हां, लेकिन मुझे इस साइंस से पूरी दिलचस्पी है जो हमें चन्द्रमा तक पहुंचाने की ताक़त देती है। मेरी दिलचस्पी इसी में है। और मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग भी ऐसी दिलचस्पी लें और इस भौतिक जगत् में ही सत्य की खोज करने की आदत डालें। हां, वे चाहें तो आध्यात्मिक जगत् में भी सत्य की खोज करें, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अभी इस समय, यह भौतिक जगत् ही मेरे लिये काफी है ; प्रकृति के सत्य की खोज करना और उस सत्य को मानवता तथा देश की सेवा में लगाना—अभी इतना ही मेरे लिये पर्याप्त है।

आज सारे संसार में यही हो रहा है और अगर एकाएक किसी जंग में संसार का खात्मा नहीं होगा तो यह उद्देश्य पूरा हो कर रहेगा। हम भारत के लोग इस में संसार की सहायता कर सकते हैं और सहायता का सब से अच्छा तरीका हैं इस काम में अपने आप की सहायता करना, इस में खुद तरक्की करना। मेरा ख्याल है कि हम ने अपने देश में एक नया वातावरण तैयार कर दिया है। जाती तौर पर, मैं तो हमेशा उसी वातावरण की बात सोचता रहता हूं। मैं उसे और सभी चीज़ों से ज्यादा अहमियत देता हूं, इसलिये कि उस वातावरण का असर काफी ज्यादा लोगों के सोचने के तरीके पर पड़ेगा और हम सभी यही चाहते हैं, सभी दलों के लोग यही चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि हम एक ऐसा स्वस्थ वातावरण तैयार करें जिस से कि हम अपना कार्य-काल समाप्त होने पर यह मशाल अपने से ज्यादा काबिल और सक्षम पीढ़ियों को सौंप सकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधनों को मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १९ से २४ तक मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५१ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य संशोधनों पर प्रस्तावक आग्रह नहीं करना चाहते इसलिये उन के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वे संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

प्रश्न यह है ।

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्न शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

कि इस अधिवेशन मे समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति महोदय के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्हों ने १२ मार्च, १९६२ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की थी, उन के अत्यन्त आभारी हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेवक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्त आयोग के दिनांक १४ दिसम्बर, १९६१ के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों और वितरण के लिये बनाये गये सिद्धान्तों के अनुसरण में कुछ संघ उत्पादन शुल्कों की शुद्ध आय के कुछ अंश के राज्यों में वितरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मैं संक्षेप में बता दूं कि इस विधेयक में क्या व्यवस्थायें की गई हैं । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्यों को आठ वस्तुओं—माचिस, तम्बाकू, चीनी वनस्पति उत्पादों, कॉफी, चाय काग़ज़ और निर्गंध तेलों—से संघ उत्पादन शुल्कों के रूप में होने वाली शुद्ध आय का २५ प्रतिशत अंश पाने का अधिकार है । आयोग ने राज्यों के अंश को २५ से घटा कर २० प्रतिशत करते हुए, वस्तुओं की संख्या ८ से बढ़ा कर ३५ कर दी है । इन ३५ वस्तुओं में वे सभी मुख्य-मुख्य वस्तुएं आ जाती हैं जिन पर १९६०-६१ में उत्पादन शुल्क लिया गया था । केवल मोटर-स्पिरिट को अलग रखा गया है । इस सिफारिश का काफी व्यापक प्रभाव पड़ेगा । कराधान के वर्तमान स्तरों पर, राज्यों को अगले वर्ष ३४ करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे, उन को बुनियादी उत्पादन-शुल्कों के अंश के रूप में वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत मिलने वाली राशि से ३४ करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे । लेकिन इस से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वितरण-योग्य राजस्व जुटाने वाली लगभग सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं को इस में सम्मिलित कर देने से, अब राज्यों का अंश प्रतिवर्ष बढ़ता ही जायेगा । आयोग ते प्रत्येक राज्य का अंश निर्धारित करने में, जनसंख्या का आधार तो माना ही है, पर साथ में राज्यों की वित्तीय स्थिति, उन के विकास-स्तरों की असमानता और उन में रहने वाले पिछड़े हुए वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत अनुपात का भी ध्यान रखा है । यह प्रथम विधेयक संघ उत्पादन शुल्कों के वि ारण लिये आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर कोई भी सदस्य बोलने के इच्छुक नहीं मालूम पड़ते ।

प्रश्न यह है :

"कि वित्त आयोग के दिनांक १४ दिसम्बर, १९६१ के प्रतिवेदव में की गई सिफारिशों और वितरण के लिये बनाये गये सिद्धान्तों के अनुसरण में कुछ संघ उत्पादन शुल्कों की शुद्ध आय के कुछ अंश के राज्यों में वितरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में